

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

:- : कार्य- नगर निगम क्षेत्र में हेरीटेज पोल लाईट इत्यादि लगाने का कार्य :-

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

22.12.20
अधिशायी अभियन्ता (वि.)
नगर निगम अजमेर

फर्म का नाम :-.....

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय : 27.11.2015 दोपहर 4.00बजे से प्रारम्भ
निविदा ऑनलाईन भरकर देने की दिनांक व समय : 27.11.2015 दोपहर 4.00बजे से प्रारम्भ
निविदा ऑनलाईन भरने की अन्तिम दिनांक व समय : 30.11.15 दोपहर 5.00बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय : 31.12.15 दोपहर 3.00बजे
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक एवं समय : तकनीकी बिड से सफलतम निविदाताओं को
नेट के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।

अनुमानित व्यय राशि

59.50 लाख

बिड सिक्योरिटी

1.19 लाख

निविदा शुल्क : 1,000/- (डीडी/बैंकर्स चैक) बैंक का नाम..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स
चैक /दिनांक

प्रोसेसिंग शुल्क : 1,000/- (डीडी/बैंकर्स चैक) बैंक का नाम..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स
चैक /दिनांक

धरोहर राशि का विवरण :-

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक/रसीद संख्या बैंक का नाम.....

दिनांकराशि रु/-

निविदा शर्तें

- निविदा ऑनलाईन भरी जायेगी। निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा स्वीकार होगी। निविदादाता को धरोहर राशी नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो संबंधित निविदादाताओं द्वारा आयुक्त, नगर निगम, अजमेर के नाम हो प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रोसेसिंग फीस का डीडी/बैंकर्स चैक महाप्रबंधक आरआईएसएल, जयपुर के नाम होना चाहिए। तथा बिड सिक्योरिटी, टेंडर फीस का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक आयुक्त नगर निगम के नाम का होगा।
- निविदा दो पार्ट में होगी तकनीकी बिड की फिडिंग अलग होगी तथा वित्तीय बिड की फिडिंग अलग होगी। पहले तकनीकी बिड ओपन की जायेगी। उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
- तकनीकी बिड होने से पूर्व बिड सिक्योरिटी निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का डीडी नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा।

तकनीकी बिड हेतु निम्न दस्तावेज स्केन कर पीडीफ फोरमेट में अपलोड होने चाहिए।

निम्न दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी।

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- बिड सिक्योरिटी के भुगतान की जमा कराने की बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट की फोटोकॉपी।

- c. निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट की फोटोकॉपी।
 - d. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
 - e. स्थायी पता प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेज।
 - f. पेन कार्ड प्रमाण पत्र की प्रति।
 - g. विद्युत निरीक्षक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
 - h. ब्लड रिलेशन नही होने बाबत 10/ रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
 - i. विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में पंजिकरण की प्रति।
 - j. निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न हस्ताक्षर करा हुआ ऐक्सचर A, B, C, D
 - k. निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।
 - l. कर्मचारी भविष्य निधि हेतु EPF, ESI रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - m. टीन नं० की प्रतिलिपि।
 - n. श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि।
2. सभी निविदा दाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 और GF&R के नियम / प्रावधान लागू होंगे।
 3. सर्वेदक राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम/प्रावधानों को स्वीकार करने हेतु पाबन्द होगा।
 4. R.P.W A-100 की सभी शर्तें मान्य होगी
 5. Rajasthan Transparency in public procurement rules 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
 6. निविदा दरें BSR आधारित जी-शियडयूल दर से Below अनुमोदित होने की स्थिति में Performance Security वाली निविदा आधारित मूल्य की अन्तर राशि के बराबर होगी।
 7. अनुमानित संख्या कम ज्यादा की जा सकती है जिसका आनुपातिक भुगतान होगा।
 8. आपके द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये दस्तावेज सही नही पाये जाने पर आपकी निविदा कभी भी निरस्त की जा कर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार महापौर/आयुक्त महोदय का होगा।
 9. निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को सबलेट/स्थानान्त्रित नही कर सकेंगा।
 10. सफलतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की जाती है, तो आदेश देने की तिथि से 1 माह की अवधि के भीतर कार्य संपादित करने की व्यवस्था करनी होगी।
 11. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जावेगा पेंसिल से भरे प्रपत्र पर विचार नही किया जावेगा। निविदा में किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि एवं परिवर्तन नही किये जाने चाहिए कोई भी ओवरराइटिंग/कटिंग नही की जानी चाहिए यदि कोई संशोधन करना हो तो वह अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिए तथा उस पर निविदादाता का लघु हस्ताक्षर होने चाहिए। दर कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नही होगी। निविदा खोले जाने वाली कमेटी द्वारा स्पष्ट दर अकिंत की जाकर उल्लेख किया जाएगा। जो निविदा दाता को मान्य होगा।
 12. निविदादाता को प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे।
 13. नगर निगम किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है यह आवश्यक नही है की वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।
 14. यदि निविदादाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य आदेश दिया

05/12/20


- है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
15. धरोहर राशी कुल अनुमनित मूल्य की 2 प्रतिशत होगी जो नकद/बैंकर चैक/ड्राफ्ट में देय होगी। यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर/प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जायेगा। उपरोक्त धरोहर राशि के निविदा के अन्तिम रूप से स्वीकर किये जाने के बाद में नियमानुसार विफल निविदाकार को प्रत्यर्पित कर दी जावेगी। जबकि सफल निविदादाता के मामले में इसे प्रतिभूति के एक भाग में मान लिया जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि वास्तविक राशि के 5 प्रतिशत होगी।
 16. दरें सभी प्रकार के कर सहित मानी जावेगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशी देय नहीं होगी। जिसमें सेवाकर यदि लागू हो तो ठेकेदार द्वारा देय होगा।
 17. कार्य के दौरान कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना/जान माल कि हानि होने पर ठेकेदार पूर्ण रूप से उतरदाई होगा। नगर निगम का कोई भी दायित्व नहीं होगा।
 18. ठेकेदार को लेबर ला की पालना करनी होगी।
 19. समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निगम अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देश /आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
 20. ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी लगाने होंगे, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों की कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
 21. महापौर/आयुक्त नगर निगम युक्ति-युक्त कारण सहित इस चालू ठेके को सात दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
 22. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र अजमेर होगा।
 23. केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये एवं परित सेवाकार का भुगतान स्वयं ठेकेदार को करना होगा।
 24. निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करने का संविदा को असन्तुष्ट ढंग से पूर्ण करने पर नगर निगम द्वारा बैंक गारन्टी /प्रतिभूति/अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में महापौर/आयुक्त नगर निगम, अजमेर का निर्णय अन्तिम होगा।
 25. सफलतम निविदादाता को 5000/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
 26. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 27. सभी आईटमों की दरें भरना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं स्वत ही निरस्त मानी जावेगी। उपयोग में काम आने वाला सामान, अन्य उपकरण, संसाधन अनुबंधित ठेकेदार का ही होगा। निगम द्वारा अलग से भुगतान देय नहीं होगा।
 28. सफलतम निविदादाता को सभी प्रकार के उपकरण, साधन तार इत्यादि स्वयं को लगाने होंगे।
 29. खुले केबिल/वायर के जोईन्ट्स पर टेप लगाकर सुरक्षा की पुरी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेकेदार की लापरवाही से खुले तारों द्वारा करंट की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
 30. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोष जनक न होने पर महापौर/ आयुक्त द्वारा 3 नोटिस देने पर ठेका/निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरिटी)एव जमा राशी निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
 31. निविदा दाता द्वारा न्यूनतम दर आने पर यदि निगम कार्य आदेश देती है तो उसे अनुबंधित दर पर कार्य करना होगा। अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरिटी) निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

24.12.20

32. निविदा दाता को बिना सूचना दिये निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम का होगा।
33. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त/महापौर द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
34. निविदा खोलने के बाद प्रस्ताव वापस लेता है या उपन्तरण करता है या करार नहीं करता है, प्रति भूति जमा नहीं कराता है तो बयाना राशि जब्त की जायेगी। तथा ब्लेकलिस्ट किया जायेगा।
35. विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी उपनिदेशय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग एवं द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक एवं उपशासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर होगा।
36. यदि परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टूट-फूट होती है तो उसकी जिमेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
37. सभी आईटमों की दरें भरना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं स्वत ही निरस्त मानी जावेगी।
38. यदि सफलतम निविदादाता/ठेकेदार कार्य आदेश में निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची/ वित्तीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशी जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk& Cost) पर नगर निगम कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
39. किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसका लिखित में कारण बताते हुऐ, आयुक्त से अग्रीम दिनों कि अनुमति लेनी होगी।

नोट- उपरोक्त सभी शर्तें मेरे द्वारा भली भाती पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर


 अधिशाषी अभियन्ता (वि.)
 नगर निगम अजमेर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

-: : कार्य- नगर निगम क्षेत्र में हेरीटेज पोल लाईट इत्यादि लगाने का कार्य :-

अधिशायी अभियन्ता (वि.)
नगर निगम अजमेर

फर्म का नाम :-.....

निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक व समय : 27.11.2015 दोपहर 4.00बजे से प्रारम्भ

निविदा आनलाईन भरकर देने की दिनांक व समय : 27.11.2015 दोपहर 4.00बजे से प्रारम्भ

निविदा आनलाईन भरने की अन्तिम दिनांक व समय : 30.12.15 दोपहर 5.00बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय : 31.12.15 दोपहर 3.00बजे

वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक एवं समय : तकनीकी बिड से सफलतम निविदाताओं को नेट के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।

अनुमानित व्यय राशि

59.50 लाख

बिड सिक्योरिटी

1.19 लाख

निविदा शुल्क : 1000/- (डीडी/बैंकर्स चैक) बैंक का नाम..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /

दिनांक

प्रोसेसिंग शुल्क : 1,000/- (डीडी/बैंकर्स चैक) बैंक का नाम..... बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /

दिनांक

धरोहर राशि का विवरण :-


बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक/रसीद संख्या बैंक का नाम..... दिनांक

राशि रु/-

1	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	आवश्यक	
2	बिड सिक्योरिटी के भुगतान की जमा कराने की बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट की फोटोकॉपी।	आवश्यक	
3	निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान की बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट की फोटोकॉपी।	आवश्यक	
4	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।	आवश्यक	
5	स्थायी पता प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेज।	आवश्यक	
6	पेन कार्ड प्रमाण पत्र की प्रति।	आवश्यक	
7	विद्युत निरीक्षक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।	आवश्यक	
8	ब्लड रिलेशन नही होने बाबत 10/ रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।	आवश्यक	
9	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में पंजिकरण की प्रति।	आवश्यक	
10	निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न हस्ताक्षर करा हुआ ऐक्सचर A, B, C, D	आवश्यक	
11	निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।	आवश्यक	
12	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु EPF, ESI रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	आवश्यक	
13	टीन नं0 की प्रतिलिपि।	आवश्यक	
14	श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि।	आवश्यक	

रिक्त स्थान पर संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या अंकित करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर


/ अधिशायी अभियन्ता (वि.)
नगर निगम अजमेर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in procurement process shall –

Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process

- (a) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (b) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti – competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (c) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process
- (d) Not indulge in any coercion including Impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (e) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (f) Disclose conflict of interest, if any ;and
- (g) Disclose any previous transgression with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.



Conflict of Interest:-

The bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to.

- a. Have controlling partners / shareholders in common ;or
- b. Receive or have receive any director indirect subsidy form any of them; or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bids; or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bids; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in –charge/consultant for the contract.



Signature of Bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of.....
in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated

I/we here by declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical , financial and managerial resources and competence required by Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document ;
3. I/we are not insolvent ,in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affair administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentation as to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rule and the Bidding Document, which materially affects fairs competition;

Handwritten mark

Date:

Place:

Handwritten signature

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DDR Ajmer

The designation and address of the Second Appellate Authority is Director of DLB Jaipur

- i. If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- ii. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

- iii. If the officer designate under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2) or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved bidder or the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date receipt of the orders passed by the first Appellate Authority, as the case may be.


iv. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement ;
- (b) Provision limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

V. Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.




Signature of Bidder

- (c) Every appeal may be presented to first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Vi. Fees for filling appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
- (i) Hear all the parties to appeal present before him ; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



Signature of Bidder

Annexure D: Additional Condition of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the uncut price shall prevail and total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals, shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount in expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bids and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter off procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing rest order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered form the Supplier.



Signature of Bidder